न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

**रेफरेंश आवेदन संख्या 11/2015**

**प्रार्थी**
दमाराम पुत्र कस्तुराराम
जाति मेघवाल निवासी
मोडावास तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**बनाम**

**विप्रार्थीगण**
1. दौलसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. खीमसिंह पुत्र नगसिंह
3. पहाड़सिंह पुत्र नगसिंह
4. फतेहसिंह पुत्र नगसिंह
5. गेनसिंह पुत्र नगसिंह
6. जूंझारसिंह पुत्र जवारसिंह जाति राजपूत निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी
7. लक्ष्मी पत्नी जगाराम जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

रेफरेंश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 17.6.1972 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 227/71 नगसिंह बनाम तहसीलदार बाड़मेर द्वारा सहायक कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थित– 1. श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 6 उपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक 22.06.2016**

1. संक्षेप में प्रार्थी के रेफरेंश आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा धांधलावास के खसरा नंबर 162 रकबा 24.14 बीघा भूमि विप्रार्थीगण 01 से 06 मुतवफी नगसिंह व जवारसिंह पिसरान नारायणसिंह ने अपनी खुद काश्त होना बताते हुए एक राजस्व वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर, बाड़मेर के न्यायालय में पेश किया। जिस पर सहायक कलक्टर बाड़मेर ने राजस्व वाद संख्या 227/71 दर्ज कर, वादी का वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.1972 द्वारा स्वीकृत कर दिया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि उक्त खसरो की भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व वादी नगसिंह व जवारसिंह का कोई कब्जा काश्त नहीं था, जिसके लिए खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। सहायक कलक्टर ने राजस्व रेकर्ड एवं नियम विरूद्व तरीके से खसरा

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नंबर 162 रकबा 24.14 बीघा भूमि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.1972 द्वारा विपार्थी के पिता नगसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है, जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर राजस्व वाद संख्या 227/71 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.1972 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

2. हमने रेफरेंश आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं वाद पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 1, 3 व 6 उपस्थित रहे।

3. हमने दोनों पक्षों को सुना। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि मौजा धांधलावास के खसरा नंबर 162 रकबा 24.14 बीघा भूमि प्रार्थी को तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक 80 वर्ष 1967 के अनुसार आवंटित की गई थी। ग्राम पंचायत नगर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 23.5.1970 से खातेदारी अधिकार दिये जाकर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया तब से प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। विप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 01.01.1971 को तहसीलदार बाड़मेर को पक्षकार बनाया जाकर सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खातेदारी का है एवं गलती से राज्य सरकार के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गया है, जबकि दिनांक 01.01.1971 को उक्त भूमि राज्य सरकार के खाते में न होकर प्रार्थी के खातेदारी में थी परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये उक्त भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का दावा पेश किया गया। सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा उक्त वाद एक पक्षीय कार्यवाही कर विधि के स्थापित सिद्वान्तों के विपरित दिनांक 17.6.1972 को निर्णय पारित किया गया। उन्होनें समयावधि के संबंध में तर्क दिया कि रेफरेंश पेश करने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। इसलिये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.1972 को निरस्त करवाया जावें।

4. इसके जवाब में विप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि वक्त सेटलमेंट एवं जागीरी के समय से ग्राम धांधलावास का खसरा नंबर 162 रकबा 24.14 बीघा विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। इस ग्राम का भू प्रबन्ध होने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड संवत 2013 में हुआ। संवत् 2013 की गिरदावरी प्रविष्टियों में कृषक के कॉलम मे विप्रार्थीगण के पूर्वज का नाम अंकित है व कब्जा काश्त चार साल पूर्व का दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि विप्रार्थीगण का आराजी पर कब्जा जागीरकाल से लगातार है। काश्तकारों की कब्जा सुदा काश्त की भूमि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

काश्तकारों के खातेदारी में अंकित नहीं हुई थी एवं कब्जा काश्त भूमि भी राज्य सरकार के नाम बिला कब्जा अंकित कर दी गई। प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर बाडमेर के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 227/71 में पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र अवश्य पेश किया था परन्तु अपनी खातेदारी से सम्बन्धित रेकर्ड पेश नहीं करने एवं स्वयं के हाजिर नहीं होने से आवेदन पत्र दिनांक 22.12.1971 को खारिज कर दिया गया। सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा वाद में समुचित साक्ष्य व सबूत के आधार पर विप्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री जारी की गई, इसमें किसी विधि का उल्लंघन नहीं हुआ नामान्तरकरण सक्षम अधिकारी द्वारा पारित हुआ है। वादी को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में राजस्व रेकर्ड में कोई अनियमितता होना मानने पर भी डिक्री व निर्णय को निरस्त करने हेतु रेफरेंश करने का कोई औचित्य नहीं हैं क्योंकि रेफरेंश कुटरचित व अविधिक एवं फर्जी तरीके से प्राप्त निर्णय डिक्री के विरूद्व होता है, किसी सदभावी त्रुटि को आधार बनाकर रेफरेंश पेश नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत रेफरेंश चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 45 वर्ष बाद पेश किया है तो मेन्टेनेबल नहीं है। 45 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेंश के अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया। यह रेफरेंस आवेदन दो पक्षकारो के मध्य है, जिसमें राज्य सरकार का कोई हित आदि निहित नहीं हैं एवं न ही निर्णय व डिक्री लोकनीति के विरूद्व है। प्रार्थी ने द्वेष भावना व ईर्ष्यावश यह रेफरेंश पेश किया है, जो सारहीन होने से खारिज किया जायें।

5. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया। वाद पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह रेफरेंश आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर, सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 227/71 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.1972 को निरस्त करने हेतु पेश किया। वाद पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता हैं कि वादी दमाराम का तहसीलदार बाड़मेर के आदेश 80/1967 के द्वारा खसरा नंबर 162 रकबा 24.14 बीघा भूमि आवंटित की गई। पत्रावली पर उपलब्ध खेवट खतौनी अनुसार वादग्रस्त भूमि नगसिंह, जवारसिंह पि. नारायणसिंह राजपूत के नाम एवं कब्जा काश्त दर्ज है। सहायक कलक्टर बाड़मेर ने वाद के विचारण के दौरान शहादत–सबूत लेकर एवं गिरदावरी का अवलोकन कर, वक्त बंदोबस्त से लगातार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 162 रकबा 24 बीघा 14 विस्वा पर वादी नगसिंह का कब्जा काश्त मानते हुए राजस्व वाद संख्या 227/1971 स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.6.1972 नगसिंह के हक में जारी की गई है, जो सही प्रतीत होता है। सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व यह रेफरेंश आवेदन पत्र 45 वर्ष बाद पेश किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हालांकि रेफरेंश पेश करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मगर माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल द्वारा यह अवधारित किया जा चुका हैं कि ऐसे असाधारण विलम्ब सें प्रस्तुत रेफरेंश मामलों में रेफरेंश आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐं। 1996 RRD पेज 170 में 25 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेंश में शक्तियों का प्रयोग करना, आरबीट्रेरी, अनरीजनेबल एवं इलीगल माना गया है। इसी प्रकार RRD 1974 पेज 190 में यह व्यवस्था दी गई हैं कि केवल उन्ही विवादों में रेफरेंश करना चाहिये जिनमें राजकीय नीति की अवहेलना की गई हो, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दी गई हो या मन्दिर की भूमियों के संबंध में वाद हो। RRD 1987 पेज 532 व RRD 1988 पेज 648 में यह प्रतिपादित किया गया हैं कि केवल राज्यहित अथवा सार्जनिक हित और लोक नीति के विरूद्व निर्णय व डिक्री होने पर ही तृतीय पक्ष रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर सकता है और इस आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 या 42 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। DNJ (RAJ) 2005 (1) पेज 540 में यह बताया हैं कि रेफरेंश युक्तियुक्त अवधि में करना चाहिये, 18 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शक्तियों का उपयोग न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार RRT 2005 (2) पेज 1032 में एक लम्बे समय से भूमि कब्जे मे रहने से रेफरेंश करने के वैध कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश रेफरेंश के माध्यम से 45 वर्ष बाद निरस्त कराया जाना, उपरोक्त न्याय दृष्टांतो में प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसरण में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय एवं डिक्री को पारित हुए 45 वर्ष हो चुके है, प्रार्थी ने अब इतने लम्बे अरसे बाद यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश किया है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी पक्ष सहायक कलक्टर बाड़मेर के आदेश दिनांक 17.6.1972 में ऐसी कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता साबित नहीं कर सके है, जिसके कारण इस आदेश को अपास्त कराया जा सकें।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का यह रेफरेंश आवेदन पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 22.06.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)